



राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग
(विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ)

No. F89/EST/LM-01(56)/2017

Jaipur, Date: 12.08.2022

Order

In compliance with "minimizing regulatory compliance burden" under EoDB (ease of doing business) guidelines, self-assessment of the the Legal Metrology services was carried out. Based on the self assessment, the following provisions in existing modules pertaining to the Legal Metrology have been made available online: -

- (i) Provision for online submission of 'Nomination of Director' by a company' as per rule 29 of the Legal Metrology (General) Rules 2011 (through amendment option).
 - (ii) Provision for separate categories of manufacturer, importer or packer in Packer Registration Certificate.
 - (iii) Provision for online request regarding modifications in licenses issued to manufacturer/ dealer/ repairer of weight or measure and packer registration.
2. The aforesaid provisions can be accessed online via 'Metrology' application through SSO login (<https://sso.rajasthan.gov.in/signin>).

Encl:- 'Nomination of Director' format



(kaluram)
controller,

Department of Consumer Affairs

Copy sent for information and necessary action to:

1. PS to Secretary, Food, Civil Supply and Consumer Affairs department, Rajasthan,
2. PS to Director and Controller Legal Metrology, Department of Consumer Affairs, Rajasthan.
3. PS to Commissioner, Industry
4. Shri Rajeev Gujaral, Sr. Project Manager, DoIT&C.
5. All Asst Controller/ Inspector Legal Metrology
6. Shri Ravindra Jain, Programmer/ *Smt. Astha Mishra, AP* DoIT&C for uploading on legal metrology website.
7. Manufacturers/ Dealers/ Repairers Association, Rajasthan


Deputy Controller



THIRTEENTH SCHEDULE

FORMAT FOR NOMINATION OF THE DIRECTOR BY THE COMPANY

[Refer Rule 29]

Notice is hereby given that Shri/Smt./Ms Director of
the (name and address
of the company) has been nominated by the company by a Resolution passed at their meeting
held on at to be incharge of, and be responsible
for the conduct of business of the company or any establishment/branch/unit thereof and
authorized to exercise all such powers and take all such steps as may be necessary or expedient
to prevent the commission any offence by the said company under the Legal Metrology Act
2009.

Shri/Smt./Ms, Designation, has
accepted the said nomination and copy of said acceptance is enclosed herewith.

A certified copy of the said Resolution is enclosed.

Place:.....
Managing Director/Secretary of
(name of the company)

Date:.....

Note : Score out the portion which is not applicable.

1. Corrected vide Corrigendum Noti. No. GSR 317(E), dt. 13-4-2011 against S. Nos. 4, 5 & 6 for "Rs. 500", "Rs. 100"
& "Rs. 200" respectively.

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग
(विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ)

कमांक: एफ89 / संस्था / LM-(56)/2017

दिनांक 10.08.2022

आदेश

EoDB गाईड लाईन के अंतर्गत व्यवसायों के बर्डन को मिनिमाईजिंग करने के संबंध में विभाग द्वारा दिये गये प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए ई-तुलामान एप्लीकेशन पर बाट या माप विनिर्माता/व्यवहारियों द्वारा बाट या माप के सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों को 07 दिवस की समयावधि में निस्तारित किया जायेगा सभी विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिये जाते हैं।



(कालूराम)
नियंत्रक

कमांक: एफ89 / संस्था / LM-(56)/2017

दिनांक 10.08.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अति० शासन शासन, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक एवं नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (प्रकोष्ठ) उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री पवन जागिड, ई-तुलामान प्रभारी DoIT & C को उक्तानुसार ई-तुलामान ऐप में अपडेशन हेतु प्रेषित है।
4. श्री राजीव गुजराल, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी(SeMT) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
5. उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. श्रीमति आस्था मिश्रा, सहायक प्रोग्रामर को मेट्रोलॉजी में तत्काल आवश्यक अपडेशन कार्यवाही कराने हेतु प्रेषित है।
8. समस्त, विधिक माप विज्ञान अधिकारी राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।



नियंत्रक

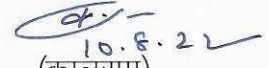
राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग
(विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ)

क्रमांक: एफ89 / संस्था / LM-(56)/2017

दिनांक 10.08.2022

आदेश

EoDB गाईड लाईन के अंतर्गत व्यवसायियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए एवं सरलीकृत करने के उद्देश्य से ई-तुलामान एप्लीकेशन पर बाट एवं माप यूजर्स द्वारा रिफण्ड हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को ऑनलाईन निस्तारित किया जायेगा। अतः सभी विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिये जाते हैं कि ई-तुलामान पर प्राप्त आवेदन पत्रों को रिफण्ड की अभिशंषा अथवा अनुमत करने से पूर्व आवेदन पत्र/दस्तावेज को नियमानुसार जांच किया जाना सुनिश्चित करें।


10.8.22
(कालूराम)
नियंत्रक

क्रमांक: एफ89 / संस्था / LM-(56)/2017

दिनांक 10.08.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अति० शासन शासन, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक एवं नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (प्रकोष्ठ) उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री राजीव गुजराल, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी(SeMT) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
4. उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. श्रीमति आस्था मिश्रा, सहायक प्रोग्रामर को मेट्रोलेजी में तत्काल आवश्यक अपडेशन कार्यवाही कराने हेतु प्रेषित है।
7. समस्त, विधिक माप विज्ञान अधिकारी राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।


नियंत्रक